[2021] 4 एस. सी. आर 396

यू. एम. सी. प्रौद्योगिकी निजी लिमिटेड

वी.

भारत और ए. एन. आर. का खाद्य निगम

एम. ए. नं. 175/2021

में।

(2020 की सिविल अपील संख्या 3687)

फरवरी 02,2021

[एस. अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना, जे. जे.]

निर्णय/आदेश-निर्णय में मुद्रण संबंधी त्रुटि

-

"अपीलार्थी के एक कर्मचारी सहित" शब्दों का सुधार

यू. एम. सी. टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय खाद्य निगम और ए. एन. आर. में निर्णय के पैराग्राफ 4 से हटा दिया गया है। [2020] 13 एस. सी. आर. 1175 में रिपोर्ट की गई 2020 की सिविल अपील संख्या 3687, दिनांक 16.11.2020-शेष आदेश जैसा है वैसा ही रहता है-आवेदन की अनुमति है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2021 का एम. ए. सं. 175

सिविल अपील सं। 3687 2020 से।

उच्च न्यायालय के 13.02.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के डब्ल्यू. पी. सं. 2778 में जबलपुर में मध्य प्रदेश का।

साहिल टागोत्रा, सुभ्रो पी. मुखर्जी, मोहित पांडे, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

न्यायालय का आदेश पारित किया गयाः

आदेश

पक्षकारों के विद्वान परामर्श को सुनने के बाद, हम इसे मानते हैं

अपीलार्थी/आवेदक द्वारा की गई प्रार्थना की अनुमति देना उचित है। तदनुसार, आवेदन की अनुमति है।

"अपीलार्थी के एक कर्मचारी सहित" शब्द हटा दिए गए हैं।

16.11.2020 दिनांकित निर्णय के पैराग्राफ 4 से। बाकी आदेश वैसे ही रहने का है।

अंकित ज्ञान

आवेद

न की अनुमति दी गई।